कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक–31/08/2016

क्रमांक– 2217/री –2/भू. अ./2016

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल.

विषय– ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013'' की **धारा–93 अतंर्गत उद्घोषणा** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण क्रमांक **08/अ–82/15--16 ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी** तहसील **खण्डवा**

––00––

''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013'' की **धारा–93 अतंर्गत उद्घोषणा** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **धारा–93 अतंर्गत उद्घोषणा** की दो–दो प्रतियां **(एक मूल प्रति** एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक– 2218/री –2/भू. अ./2016

खण्डवा, दिनांक–31/08/2016

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर **धारा–93 अतंर्गत उद्घोषणा** की चार–चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे **इन्दौर** की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे । समाचार पत्र प्रकाशन व्यय रेल्वे विभाग व्दारा वहन किया जावेगा ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **धारा–93 अतंर्गत उद्घोषणा** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6--6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें ।

   1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
   3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. नगर पालिक निगम खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
   5. ग्राम **खण्डवा तरफ कुन्बी** की चौपाल पर .

(शाश्वत शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्र. 120 एलए./2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 08/अ–82/15–16 खण्डवा, दिनांक 31/08/2016

(भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 93 अंतर्गत)

//उद्घोषणा//

उप–मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर द्वारा उनके प्रसताव क्रमांक इन्दौर/डब्ल्यू/335/4 दिनांक 31.10.2015 से ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी के विभिन्न सर्वे नंबरों की निजी कृषि भूमि रकबा 0.280 हे. व उस पर स्थित परिसंपत्तियां, खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य. हेतु अधिग्रहण के प्रस्ताव कलेक्टर जिला खण्डवा को प्रस्तुत किये गये । अधिनियम की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना एवं धारा 19 उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही की गयी । इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग व्दारा पत्र क्रमांक 335/4 दिनांक 17.8.2016 व्दारा भू–अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने (1 से 9) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने 9 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 93 अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है । अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गग्त कॉलम नं 4 से 7 में उल्लेखित सर्वे नंबर एवं भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है ।

//अनुसूची//

जिला	तहसील	ग्राम	अधिनियम की धारा 19 के तहत निम्न सर्वे नंबर प्रस्तावित थे		अधिनियम कि धारा 93 के तहत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नं. का ब्यौरा		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन
			खसरा नं	रकबा हे.	खसरा नं	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खंडवा	खंडवा	खण्डवा तरफ कुनबी	277	0.030	277	0.030	उपमुख्य इंजिनियर(निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य. हेतु।
			285	0.020	285	0.020		
			284		284			
			286		286			
			292		292			
			408	0.230	408	0.230		
योग			**06 खसरा**	**0.280**	**06 खसरा**	**0.280**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा तथा **उप–मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के** कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(स्वाती मीणा नायक)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)